केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
दिल्ली संभाग /DELHI REGION,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय महरौली मार्ग,
JNU CAMPUS, NEW MEHRAULI ROAD,
नई दिल्ली /New Delhi-110067
दूरभाष सं. Tel. No. 7428830967
Email Id : dcrodelhi@gmail.com
Website : rodelhi.kvs.gov.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.No.190350/केविसं(दि.सं.)/2022-23/13759-13829. Dated: 16.11.2022

प्रिय अभिभावक

विषय : माता-पिता द्वारा सीधे उच्च अधिकारियों से संपर्क करना।

महोदया/महोदय,

प्राय: देखा जा रहा है कि अभिभावक स्कूल से जुड़े छोटे से छोटे मामले के लिए भी सीधे क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office), केवीएस मुख्यालय (KVS, Hqrs.), मंत्रालय (Ministry), पीएमओ (PMO) आदि को पत्र लिख रहे हैं । इस मामले में विद्यालय को एक बेहतर व्यवहार एवं संवेदनशीलता की उम्मीद है | यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि कक्षा में बच्चों के आपसी व्यवहार, शिक्षक एवं विद्यार्थी के रिश्ते या बच्चे से संबंधित किसी अन्य मामले को पहले विद्यालय के प्राचार्या / प्राचार्य के ध्यान में लाया जाना चाहिए और मामले को आपसी बातचीत से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि आप विद्यालय के प्राचार्य की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, केवल उसी परिस्थिति में आप उपायुक्त को मामले की रिपोर्ट कर सकते हैं जिनकी मेल आईडी dcrodelhi@gmail.com है। शायद ही कभी ऐसा होगा कि आपका मामला इन दो स्तरों (विद्यालय स्तर और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर) पर हल नहीं किया जा सके और केवल उस स्थिति में आप आयुक्त, केवीएस / केवीएस मुख्यालय लिख सकते हैं। सिर्फ असाधारण रूप से दुर्लभ मामले को मंत्रालय या पीएमओ को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। वो भी तब जब क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त एवं आयुक्त, के.वि.सं. के स्तर पर मामलों का संतोषपूर्ण निर्वहन नहीं हुआ हों |

हमें यह महसूस करना होगा कि एक विद्यालय (School) चलाना और हजारों बच्चों का प्रबंधन करना एक जटिल कार्य है। विद्यालय विवेकपूर्ण होने और अपने कार्यों में औचित्य साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं, प्रक्रियाएं और प्रथाएं होंगी जो कभी भी सभी के लिए समुचित एवं सम्पूर्ण नहीं होगी | सोच में व्यक्तिगत भिन्नताओ के कारण कोई हमेशा ही उपेक्षित और वंचित महसूस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल इसे जानबुझ कर कर रहा है। इनमें से ज्यादातर मामलों को शिक्षकों या प्राचार्य से बातचीत करके सुलझाया जा सकता है।

आपको यह भी महसूस करने की आवश्यकता है कि विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क किए बिना यदि किसी मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाता है, तो अनावश्यक रूप से ध्यान, समय और ऊर्जा का विभिन्न स्तरों पर अपव्यय होता है। इस समय व उर्जा का उपयोग कुछ अन्य रचनात्मक एवं कल्याणकारी कार्यों में किया जा सकता है।

इसलिए, क्षेत्रीय कार्यालय, केवीएस मुख्यालय, मंत्रालय आदि को सीधे लिखना न सिर्फ अवांछित और अनुचित है बल्कि अनावश्यक समय और ऊर्जा की हानि के कारण राष्ट्रीय निर्माण के लिए भी हानिकारक है।

मुझे पूरा यकीन है कि अगर कोई माता-पिता शिक्षक/प्राचार्य के पास पहुंचते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे केवल संवाद के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

आपका शुभाकांक्षी

(नगेन्द्र गोयल)

उपायुक्त

प्रतिलिपि :

1. समस्त प्राचार्यों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वो बच्चों एवं अभिभावकों के साथ ओर अधिक संवाद स्थापित करेंगे एवं समयानुसार उपलब्ध रहेंगे।
2. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक),केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) सूचनार्थ प्रेषित।

*इस पत्र को विद्यालय अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए नोटिस बोर्ड पर भी लगाए।